

712वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 10 जनवरी 2024

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 712वीं बैठक दिनांक 10/01/2024 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियो कॉफेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे :—

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य |
2. प्रो. (डॉ.) रुबीना चौधरी, सदस्य |
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य |
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य |
5. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य |
6. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य |
7. श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, सदस्य सचिव |

सभी सदस्यों द्वारा अक्षयक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :—

1. Case No 10858/2023 Shri Prateek Gehlod, Owner, 23, A Keshav Nagar, District-Alirajpur (MP)-457887, Prior Environment Clearance for Baidiya Stone Quarry in an area of 1.50 ha. (3135 cum per year) (Khasra No. 46/1), Village-Baidiya, Tehsil Sondwa, District Alirajpur (M.P.). [DEIAA]

प्रस्तावित स्टोन खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन/पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर/ईआईए का है, जिसमें आज दिनांक 10/01/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री प्रतीक गहलोत, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बड़ौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Prateek Kumar Gehlod, Owner, 23, A Keshav Nagar, District-Alirajpur (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	46/1 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	1.50 hectare.
स्थल	Village Baidiya , Tehsil Sondwa, District Alirajpur (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अलीराजपुर के पत्र क्रमांक 203 दिनांक 25/03/23 के द्वारा स्वीकृत।	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया अलीराजपुर के पत्र क्रमांक 166 दिनांक 16/06/17 के द्वारा पत्थर-3135 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	

712वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 10 जनवरी 2024

प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर—3,135 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर—3,135 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अलीराजपुर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1283 दिनांक 27/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 03.50 है. होता है, अतः प्रकरण बी—2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अलीराजपुर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1283 दिनांक 27/10/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अलीराजपुर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1283 दिनांक 27/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बयडिया जिला अलीराजपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक—72 दिनांक 28/08/19 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि बेरियर जोन में 100 पेड़ लगाये हैं।
प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा— 78 मी पर रोड है पूर्व दिशा— खदान से 58 मी. पर रोड है।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.—37 के सरल क्रमांक—2 पर दर्ज है।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्ण मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई।

712वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 10 जनवरी 2024

समिति द्वारा पूर्व में जारी ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा के दौरान निम्न शर्तों का पालन प्रतिवेदन देखा गया –

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
पौधारोपण की स्थिति	पी.पी ने बताया कि लगभग 100 पेड़ लगाये हैं

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि माईनिंग प्लान के अनुसार खनन कार्य में ब्लास्टिंग प्रस्तावित है। दक्षिण दिशा में 78 मी एवं पूर्व दिशा में खदान से 58 मी. पर पक्का रोड है, पक्की रोड से ब्लास्टिंग की स्थिति में 200 मी. प्रतिबंधित है, पर्यावरण सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि नॉन ब्लास्टिंग का प्रस्ताव माईनिंग ऑफिस में प्रस्तुत किया है। समिति ने निर्देश दिये कि माईनिंग ऑफिस से संशोधित प्लान प्राप्त होने पर प्रकरण पर विचार किया जावेगा। उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत करने हेतु एडीएस जारी किया जावे।

2. Case No 10488/2023 Shri Ashish Singh, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Bichhreta Sand Quarry in an area of 4.80 ha. (28800 cum per year) (Khasra No. 454/1, 413/1 min, 1/2), Village-Bichhareta, Tehsil-Bhander, District-Datia (MP)

परियोजना प्रस्तावक Shri Ashish Singh एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा (ऑनलाईन), एवं उनके अधिकृत प्रतिनिधि श्री स्वति नामेदव(ऑनलाईन) कियेटिव इंवारो सर्विसेस, भोपाल (म.प्र.) के द्वारा दिनांक 12/10/2023 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार जिला – दतिया के अनुमोदित डी.एस.आर के सरल क्रमांक 15 पर सूचीबद्ध रेत खदान के संबंध में समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

खदान पहुंच नदी पर ग्राम बिछरेटा के निकट 4.80 हे. क्षेत्रफल पर 28,800 घनमीटर प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता हेतु प्रस्तावित है। समिति द्वारा खदान से संबंधित माईनिंग प्लान, डी.एस.आर., के.एम.एल तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र का समिति द्वारा अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर

712वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 10 जनवरी 2024

बी-2 श्रेणी अंतर्गत मूल्यांकन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के परीक्षण अनुसार संवेदनशील पैरा मीटर्स के आधार पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा सरफेस मेप तथा परिवहन मार्ग तैयार किया गया है, जिसका समिति द्वारा अवलोकन किया गया है।

प्रकरण का परीक्षण

- प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि खदान क्षेत्र 02 भागों में विभक्त है एवं खदान के बीच में एक रोड़ ब्रिज स्थित है ब्रिज के पश्चिमी खदान क्षेत्र से दूरी 193 मीटर एवं पूर्वी भाग से दूरी 190 मीटर है।
- यह प्रकरण सिया की 604 वीं बैठक दिनांक 04/03/2020 में विचार में आया था पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के बिन्दु क्रमांक 02 पर डिया के पत्र क्रमांक क्यू/खनि/03-6/ डिया/119/2018/151-11 दिनांक 27/01/2018 के द्वारा स्वीकृत हुआ था। सिया द्वारा प्रकरण क्रमांक 6914/2020 पर विचार उपरांत पत्र दिनांक 09/03/2020 के माध्यम से कुल रेत उत्पादन मात्रा 36100 घन मीटर प्रतिवर्ष क्षमता हेतु मेसर्स के.पी.सिंह भदौरिया, जिला ग्वालियर को (उन्हीं शर्तों एवं मात्रा 36100 घन मीटर) ई.सी ट्रांसफर की जा चुकी है।

दतिया जिले की डी.एस.आर. के पेज न. 14 के सरल क्रमांक 15 पर उक्त खदान क्षेत्र में रेत खदान की गहराई 01 मीटर दर्शायी है परन्तु माईनिंग प्लॉन के पेज न. 10 में खदान की गहराई 02 मीटर दर्शायी गई है अतः खनिज अधिकारी इस आशय की पुष्टि करे कि किस गहराई के आधार पर खनन हेतु प्रकरण पर विचार किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति की आज बैठक दिनांक 10/01/2024 को प्रस्तुतीकरण में रखा गया, उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा (ऑनलाईन), एवं उनके अधिकृत प्रतिनिधि श्री स्वति नामेदव(ऑनलाईन) कियेटिव इंवारो सर्विसेस, भोपाल (म.प्र.) उपस्थित हुए।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्यपालन यंत्री का पत्र क्रमांक 3922 दिनांक 08/12/2023 प्रस्तुत किया जिसमें उल्लेख है कि पहुंच नदी पर जलमण्नीय पुल निर्माण के दोनों ओर डाउन स्ट्रीम एवं अप स्ट्रीम में 300-300 मी. की दूरी पर कोई भी खनन कार्य न किया जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र 02 भागों में विभक्त है उनके द्वारा दक्षिण दिशा वाला भाग गैर खनन हेतु छोड़ दिया गया है एवं दूसरे भाग में 300 मी. की दूरी छोड़ते हुये खनन कार्य किया जावेगा। अतः खनन योग्य क्षेत्र 3.5 है। उपलब्ध होता जिसमें से आवेदित मात्रा का उत्पादन किया जा सकता है।

712वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 10 जनवरी 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत—28800 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 04.10 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 01.14 लाख प्रति वर्ष ।
2. खनन क्षेत्र में पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन क्रियांवयन अवलोकित नहीं हुआ। मध्य प्रदेश खनिज / निगम पूर्व संचालक द्वारा जमा सुरक्षा निधिअधिहत कर शर्तों का पालन क्रियांवयन सुनिश्चित कर / पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों के प्रथम पालन प्रतिवेदन के साथ मय उपयोगिता प्रमाण पत्र के प्रस्तुत करेंगे।
3. खदान क्षेत्र 02 भागो में विभक्त है परियोजना प्रस्तावक द्वारा दक्षिण दिशा वाला भाग गैर खनन हेतु छोड़ दिया गया है एवं दूसरे भाग में 300 मी. की दूरी छोड़ते हुये खनन कार्य किया जावेगा।
4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.30 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
सी.ई.आर मद से 30,000 की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम बिछरेटा के शासकीय प्राथमिक शाला के खाते में अधोसंरचना विकास हेतु जमा की जावेगी।	30000

5. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 4000 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारें पर रोपण किया जावेगा :—

क्र. सं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, धास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बौस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियाँ।	500
2	ग्राम— बिछरेटा के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आँवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ	3500

712वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 10 जनवरी 2024

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख—रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGERED (आड़े—तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख—रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख—रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधरोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाइल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

3. Case No -10454/2023 Shri Ashish Singh, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Basaimalak-1 Sand Quarry in an area of 4.98 ha. (58,800 cum per year) (Khasra No. - 01), Village-Basaimalak, Tehsil-Seondha, District-Datia (MP).

प्रस्तावित खदान का दिनांक 11/10/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Ashish Singh, खनिज विभाग से खनिज अधिकारी अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, कियेटिव इंवारो सर्वीसेस, भोपाल (म.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एवं साथ में श्री दिनेश पटेल, खनिज अधिकारी, जिला — दतिया की अनुमोदित डी.एस.आर में सूचीबद्ध है। रेत खदान के संबंध में समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

खदान सिंध नदी पर ग्राम बसईमलक के निकट 4.98 हे. क्षेत्रफल पर 58,800 घनमीटर प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता हेतु प्रस्तावित है। समिति द्वारा खदान से संबंधित माईनिंग प्लान, डी.एस.आर., के.एम.एल तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र का समिति द्वारा अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर बी—२ श्रेणी अंतर्गत मूल्यांकन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के परीक्षण अनुसार संवेदनशील पैरा मीटर्स के आधार पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा सरफेस मेप तथा परिवहन मार्ग तैयार किया गया है।

प्रकरण का परिक्षण

प्रकरण के परिक्षण के दौरान समिति ने पाया था कि यह लीज क्षेत्र से लगभग 800 मीटर दूर निर्माणाधीन ब्रिज स्थित है अतः 1 कि.मी. का सेट—बेक दिया जाना होगा। **Enforcement and Monitoring Guidelines for**

712वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 10 जनवरी 2024

Sand Mining 2020 के पेज न. 22 के पैरा “एच” एवं पेज न. 24 के पैरा “आर” के अंतर्गत 01 कि. मी. का निर्धारित सेटबेक छोड़ने पर खदान समाप्त हो जाती है।

परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया कि संरचना की सुरक्षा की दृष्टि से खनन कार्य, संरचना से कितनी न्यूनतम दूरी पर संपन्न किया जाये इस संबंध में सक्षम विषय विशेषज्ञ प्राधिकारी (ब्रिज कॉर्पोरेशन विभाग/जलसंसाधन विभाग/पी.डब्ल्यू.डी विभाग) से अभिमत प्राप्त होने पर प्रस्तुत किया जावेगा। परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी के उक्त अनुरोध को मानते हुये समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा अभिमत प्राप्त कर सेक समिति के समक्ष प्रस्तुत करने पर प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचार किया जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति की आज बैठक दिनांक 10/01/2024 को प्रस्तुतीकरण में रखा गया, उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा (ऑनलाईन), एवं उनके अधिकृत प्रतिनिधि श्री स्वति नामेदव(ऑनलाईन) कियेटिव इंवारो सर्विसेस, भोपाल (म.प्र.) उपस्थित हुए।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्यपालन यंत्री का पत्र क्रमांक 3907 दिनांक 07/12/2023 प्रस्तुत किया जिसमें उल्लेख है कि सिंध नदी पर निर्माणधीन पुल के दोनों ओर डाउन स्ट्रीम एवं अप स्ट्रीम में 300–300 मी. की दूरी पर कोई भी खनन कार्य न किया जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि पुल खदान लीज क्षेत्र से लगभग 800 मीटर दूरी अतः अतः रेत की वांछित मात्रा उपलब्ध होती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेप्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन कार्य निम्नानुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत—58,800 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 04.90 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 01.24 लाख प्रति वर्ष।
- खनन क्षेत्र में पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन यांवयन अवलोकित नहीं हुआ। मध्य प्रदेश खनिज क्रि / निगम पूर्व संचालक द्वारा जमा सुरक्षा निधिअधिहत कर शर्तों का पालन क्रियांवयन सुनिश्चित कर / पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों के प्रथम पालन प्रतिवेदन के साथ मय उपयोगिता प्रमाण पत्र के प्रस्तुत करेंगे।
- खदान क्षेत्र 02 भागों में विभक्त है परियोजना प्रस्तावक द्वारा दक्षिण दिशा वाला भाग गैर खनन हेतु छोड़ दिया गया है एवं दूसरे भाग में 300 मी. की दूरी छोड़ते हुये खनन कार्य किया जावेगा।
- सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

712वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 10 जनवरी 2024

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
सी.इ.आर मद से 50,000 की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम बसईमलक—1 के शासकीय प्राथमिक शाला के खाते में अधोसंरचना विकास हेतु जमा की जावेगी।	50,000

5. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 6000 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारों पर रोपण किया जावेगा :—

क्रं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बौस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियाँ।	500
2	ग्राम— बसईमलक—1 के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	ऑंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ	5500

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख—रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े—तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख—रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधारोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधारोपण एवं रख—रखाव किया जायेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बौस पौधे प्रदाय किये जायेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जायेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाइल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

712वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 10 जनवरी 2024

4. **Case No 10656/2023 Shri PRAMOD DHABAI, Junior Manager (Field), P.K. Dhabai, near Kali mandir, Narmadapuram (M.P.), Prior Environment Clearance for Dhamnya Sand Deposit in an area of 5.00 ha. (22800 cum per year) (Khasra No. 01), Village-Dhamniya, Tehsil-Shahpur, District-Betul (MP)**

प्रस्तावित रेत खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रस्तुतीकरण समिति की पूर्व 695वीं बैठक दिनांक 21/11/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था। परीक्षण के दौरान समिति ने पाया कि यह खदान मोरण्ड नदी में स्थित है। लीज क्षेत्र में से नदी की पतली जलधारा निकल रही है तथा पूर्व दिशा में 250 मी. की दूरी पर 94 मी. लम्बा पक्का रोड़ ब्रिज है। परियोजना प्रस्तावक/मार्झनिंग अधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया कि संरचना की सुरक्षा की दृष्टि से खनन कार्य, संरचना से कितनी न्यूनतम दूरी पर संपन्न किया जाये इस संबंध में सक्षम विषय विशेषज्ञ प्राधिकारी (ब्रिज कॉर्पोरेशन विभाग/जलसंसाधन विभाग/पी.डब्ल्यू.डी विभाग) से अभिमत प्राप्त होने पर प्रस्तुत किया जावेगा। परियोजना प्रस्तावक/मार्झनिंग अधिकारी के उक्त अनुरोध को मानते हुये समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक/मार्झनिंग अधिकारी द्वारा अभिमत प्राप्त कर सके समिति के समक्ष प्रस्तुत करने पर प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचार किया जावेगा। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा खसरा नं. 209 पर प्रस्तावित खदान के लिए ग्रामसभा का ठहराव प्रस्ताव अपलोड किया गया है जबकि प्रस्तावित खदान खसरा नं.-1 पर स्थित है, अतः परियोजना प्रस्तावक प्रस्तावित खदान खसरा नं.-1 के लिए ग्रामसभा ठहराव प्रस्तुत करें।

उपरोक्त जानकारी परियोजना प्रस्तावक ने प्रस्तुत कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष आज दिनांक 10/01/24 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक के प्रतिनिधि Shri Anil Khandelwal एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेरसर्स कांगनीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक/मार्झनिंग अधिकारी द्वारा पूर्व दिशा में 250 मी. की दूरी पर 94 मी. लम्बा पक्का रोड़ ब्रिज के विषय में सक्षम विषय विशेषज्ञ प्राधिकारी (ब्रिज कॉर्पोरेशन विभाग/जलसंसाधन विभाग/पी.डब्ल्यू.डी विभाग) का कोई भी अभिमत प्राप्त नहीं कर सके अतः उपरोक्त संबंध में सक्षम विषय विशेषज्ञ प्राधिकारी का अभिमत प्राप्त होने पर प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचार किया जावेगा।

5. **Case No 10859/2023 Shri Hari Jat, Lessee, R/o Hanuman Colony, District-Guna (MP)-473001, Prior Environment Clearance for Bilaikheda Stone Quarry in an area of 4.00 ha. (22325 cum per year) (Khasra No. 14), Village-Bilakheda, Tehsil-Guna, District-Guna (MP) [DEIAA]**

712वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 10 जनवरी 2024

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 10/04/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Hari Jat, Lessee एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आई.एन.सी., वडोदरा (गुजरात) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Hari Jat, Lessee, R/o Hanuman Colony, District-Guna (MP)-473001, Prior Environment Clearance for Bilaikheda Stone Quarry in an area of 4.00 ha. (22,325 cum per year) (Khasra No. 14), Village-Bilakhera, Tehsil-Guna, District-Guna (MP) [432729] [DEIAA].	
परियोजना का खसरा नं./लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.- 14,	एरिया- 4.00 ha., शासकीय भूमि
परियोजना स्थल	ग्राम – बिलाखेरा तहसील – गुना, जिला- गुना (म.प्र.).	
सैंधातिक सहमति	पत्र क्र. 22011 दिनांक 26/12/2015.	
परियोजना की श्रेणी	बी-2	
खनन् कार्य ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	<ul style="list-style-type: none"> Mine Plan Chapter 3.6 Blasting Requirement (if applicable), Muffle Blasting and use of sand bags. (As per Parivesh Portal up-loaded information Point No. 19.1). 	
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	कार्यालय, डिया गुना के पत्र क्र. 1775 दिनांक 30/11/2016 द्वारा स्टोन- 22,325 cum per year हेतु ई.सी. जारी की गई थी।	
उत्पादन क्षमता	स्टोन- 22,325 cum per year.	
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित / स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला गुना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 565 दिनांक 13/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें स्वीकृत नहीं हैं, जिनको मिलाकर कुल रकबा 4.00 है. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।	
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला गुना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 565 दिनांक 13/10/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं हैं।	
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला गुना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 565 दिनांक 13/10/2023 अनुसार 20 मीटर की परिधि में नाला एंव 430 मी. की दूरी पर नदी स्थित है।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/ नगर परिषद्	ग्राम पंचायत – सिमरौद, जिला-गुना का ठहराव प्रस्ताव क्र. 09 दिनांक 02/10/2012 पर दर्ज है।	
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existed – No Tree only shrubs are existed	

712वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 10 जनवरी 2024

प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	उत्तर दिशा में एक प्राकृतिक नाला लीज क्षेत्र से लगा हुआ है। पीपी द्वारा 50 मी. का सेटबैक प्रस्तावित किया गया है। उत्तर पूर्व दिशा में ब्रिज लगभग 186 मी.
	पूर्व दिशा— पक्का रोड लगभग 430 मी.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.— 39 के सरल क्रमांक — 41 पर दर्ज है।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्ण मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई।

समिति द्वारा पूर्व में जारी ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा के दौरान निम्न शर्तों का पालन प्रतिवेदन देखा गया –

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई। बेरियर जोन में पेड नहीं लगाये गये
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
अनुमोदित मार्झिनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	150 पोधे लीज एरिया में लगाये गये 100 पौधे का वितरण किया गया है।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक कार्य होना पाया गया।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः—

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर— स्टोन— 22,325 घनमीटर / वर्ष
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 06.31 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 01.72 लाख प्रति वर्ष।

712वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 10 जनवरी 2024

3. उत्तर दिशा में एक प्राकृतिक नाला लीज क्षेत्र से लगा हुआ है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा 50 मी. का गैर खनन क्षेत्र छोड़ा जाना सुनिश्चित करेगा।
4. उत्तर पूर्व दिशा में ब्रिज लगभग 186 मी. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 14 मी. का गैर खनन क्षेत्र छोड़ा जाना सुनिश्चित करेगा।
5. डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शायें गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 03 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
6. अन्य शर्तों का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (में .रु)
ग्राम बिलाई खेड़ा में स्थित शासकीय विध्यालय विकास हेतु पालक शिक्षा संघ में उल्लेखित राशि भूप्रवेश मिलने के 3 माह के भीतर जमा करवाई जावेगी	60,000/-

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4650 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियरजोनमें	नीम, खमेर, कालासिरिस, सिस्सू, करंज, चिरोल सफेदसिरिस, पीपलआदिएवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	850
2	परिवहनमार्गमें	नीम, सिस्सू, चिरोल, कदम्ब, करंज, पाकर, पीपल आदिएवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँट्री-गार्ड के साथ	150
3	ग्रामबिलाईखेड़ा के पंचायतमें	पुत्रंजीवामोलश्रीसिस्सू, कदम्ब, पीपल, कचनार, नीम, चिरोलआदिएवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	50
4	ग्रामीणोंमेंपौधोंकावितरण	आंवला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल, जामुन, हाइब्रिडमुनगाआदिएवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँ	3600

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

712वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 10 जनवरी 2024

6. Case No 10320/2023 Shri Subhash Chandra karnavat, Junior Manager (General), M P STATE MINING CORPORATION, Office of the Collector, Alirajpur, Prior Environment Clearance for Sajanpur-2 Sand Deposit in an area of 2.50 ha. (25500 cum per year) (Khasra No. 513), Village- Sajanpur-2 Tehsil- Katthiwada, District-Alirajpur (MP)

प्रस्तावित खदान का समिति की 677वीं बैठक दिनांक 12/09/23 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की अनुशंसा सिया को प्रेषित की जा चुकी है।

सिया की 808वीं बैठक दिनांक 29/09/23 के द्वारा प्रस्तावित खदान क्षेत्र के 252 मीटर पर पक्के रोड़ ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात् खनन् हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं बचने के कारण प्रकरण समिति को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया है।

प्रकरण समिति की पूर्व 686वीं पार्ट-2 बैठक दिनांक 05/10/23 को प्रस्तुत हुआ था, जिसमें पाया गया कि –

- प्रकरण के परिक्षण के दौरान समिति ने पाया कि यह खदान ओरसंग नदी में स्थित है एवं प्रस्तावित खदान क्षेत्र से 252 मीटर पर पक्का रोड़ ब्रिज है कि मेजर श्रेणी का है।

अतः समिति ने परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी से सर्बंधित विभाग से ब्रिज के संबंध में सक्षम विषय विशेषज्ञ प्राधिकारी (ब्रिज कॉर्पोरेशन विभाग/जलसंसाधन विभाग/पी.डब्ल्यू.डी विभाग) से तकनीकी अभिमत प्राप्त करें जिसमें रेत खनन् कार्य होने से ब्रिज की सुरक्षा पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े, तदुपरांत प्रकरण पर विचार किया जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष आज दिनांक 10/01/24 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री सुभाष चंद्र कर्णावत एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए प्रस्तुतीकरण के दौरान श्री सतीष नागले, प्रभारी खनिज अधिकारी, अलीराजपुर समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा कायालय महाप्रबंधक म.प्र.ग्रा.स.वि.प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, अलीराजपुर का पत्र क्रमांक 1637 दिनांक 14/12/2023 प्रस्तुत किया जिसमें उल्लेख है कि पुल के दोनों ओर डाउन स्ट्रीम एवं अप स्ट्रीम में 300–300 मी. की दूरी तक रेत उत्खनन प्रतिबंधित रहेगा, जिससे पुल संरक्षित रह सकें। परियोजना प्रस्तावक द्वारा निर्धारित दूरी तक रेत उत्खनन प्रतिबंध दर्शाते हुये सरफेस मेप में प्रस्तुत किया।

712वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 10 जनवरी 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत—25,500 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 01.51 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 01.30 लाख प्रति वर्ष।
- खनन क्षेत्र में पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन क्रियांवयन अवलोकित नहीं हुआ। मध्य प्रदेश खनिज / निगम पूर्व संचालक द्वारा जमा सुरक्षा निधिअधिहत कर शर्तों का पालन क्रियांवयन सुनिश्चित कर / पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों के प्रथम पालन प्रतिवेदन के साथ मय उपयोगिता प्रमाण पत्र के प्रस्तुत करेंगे।
- परियोजना प्रस्तावक पुल के दोनों ओर डाउन स्ट्रीम एवं अप स्ट्रीम में 300—300 मी. की दूरी तक रेत उत्थनन प्रतिबंधित रहेगा।
- सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.30 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय विद्यालय, साजनपुर के पालक शिक्षक संघ में धन राशि जमा कराई जाएगी।	30,000

- नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 3000 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारों पर रोपण किया जावेगा :—

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियाँ।	2700
2	ग्राम साजनपुर के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आँवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ	300
<input checked="" type="checkbox"/> वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख—रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप			

712वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 10 जनवरी 2024

(SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख—रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख—रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ति की जा सकेगी।

परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

7. Case No 10321/2023 Shri Subhash Chandra karnavat, Junior Manager (General), M P STATE MINING CORPORATION, Office of the Collector, Alirajpur, Prior Environment Clearance for Sajanpur-1 Sand Deposit in an area of 1.50 ha. (13000 cum per year) (Khasra No. 513), Village- Sajanpur-1, Tehsil- Katthiwada,, District-Alirajpur (MP)

प्रस्तावित खदान का समिति की 676वीं बैठक दिनांक 11/09/23 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की अनुशंसा सिया को प्रेषित की जा चुकी है।

सिया की 808वीं बैठक दिनांक 29/09/23 के द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर पर पक्के रोड़ ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात् खनन् हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं बचने के कारण प्रकरण समिति को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया है।

प्रकरण समिति की पूर्व 686वीं पार्ट—2 बैठक दिनांक 05/10/23 को प्रस्तुत हुआ था, जिसमें पाया गया कि —

- प्रकरण के परीक्षण के दौरान समिति ने पाया कि यह खदान ओरसंग नदी में स्थित है एवं प्रस्तावित खदान क्षेत्र से 500 मीटर पर पक्का रोड़ ब्रिज है कि मेजर श्रेणी का है।

अतः समिति ने परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी से सबंधित विभाग से ब्रिज के संबंध में सक्षम विषय विशेषज्ञ प्राधिकारी (ब्रिज कॉर्पोरेशन विभाग/जलसंसाधन विभाग/पी.डब्ल्यू.डी विभाग) से

712वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 10 जनवरी 2024

तकनीकी अभिमत प्राप्त करें जिसमें रेत खनन् कार्य होने से ब्रिज की सुरक्षा पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। तदुपरांत प्रकरण पर विचार किया जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष आज दिनांक 10/01/24 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री सुभाष चंद्र कर्णावत एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए प्रस्तुतीकरण के दौरान श्री सतीष नागले, प्रभारी खनिज अधिकारी, अलीराजपुर समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा कायालय महाप्रबंधक म.प्र.ग्रा.स.वि.प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, अलीराजपुर का पत्र क्रमांक 1635 दिनांक 14/12/2023 प्रस्तुत किया जिसमें उल्लेख है कि पुल के दोनों ओर डाउन स्ट्रीम एवं अप स्ट्रीम में 300–300 मी. की दूरी तक रेत उत्खनन प्रतिबंधित रहेगा, जिससे पुल संरक्षित रह सकें। परियोजना प्रस्तावक द्वारा निर्धारित दूरी तक रेत उत्खनन प्रतिबंध दर्शाते हुये सरफेस मेप में प्रस्तुत किया।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेप्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत—13,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 01.41 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 01.28 लाख प्रति वर्ष।
- खनन क्षेत्र में पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन क्रियांवयन अवलोकित नहीं हुआ। मध्य प्रदेश खनिज / निगम पूर्व संचालक द्वारा जमा सुरक्षा निधिअधिहत कर शर्तों का पालन क्रियांवयन सुनिश्चित कर / पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों के प्रथम पालन प्रतिवेदन के साथ मय उपयोगिता प्रमाण पत्र के प्रस्तुत करेंगे।
- परियोजना प्रस्तावक पुल के दोनों ओर डाउन स्ट्रीम एवं अप स्ट्रीम में 300–300 मी. की दूरी तक रेत उत्खनन प्रतिबंधित रहेगा।
- सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय विद्यालय, साजनपुर के पालक शिक्षक संघ में धन राशि जमा कराई जाएगी।	20,000

712वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 10 जनवरी 2024

5. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 1800 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारे पर रोपण किया जावेगा :—

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बौस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियाँ।	1500
2	ग्राम साजनपुर के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	ऑँवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ	300
✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख—रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।			
✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।			
✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGERED (आड़े—तिरछे) लगाये जायेंगे।			
टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख—रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख—रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाइल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

8. Case No 10840/2023 Shri Upendra Keer, Owner, R/o House No. 86, Lalbag Road, Rajeev Ward, District-Burhanpur (MP)-450331, Prior Environment Clearance for Boharda Stone Quarry in an area of 1.70 ha. (3420 cum per year) (Khasra No. 183/1), Village-Boharda, Tehsil-Burhanpur, District-Burhanpur (MP)

712वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 10 जनवरी 2024

प्रस्तावित स्टोन खदान बी-2 श्रेणी के पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए का है, जिसमें आज दिनांक 10/01/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री उपेन्द्र कीर, ऑनलाइन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी मेसर्स ए.एस.जी. इंवायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि., दिल्ली उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण		परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता		Shri UPENDRA KEER, Owner, House No-86, Lalbag Road, Rajeev Ward , Burhanpur (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	183/1 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	1.7 hectare.	
स्थल	ग्राम BOHARDA तसहील Burhanpur जिला Burhanpur (म.प्र.)		
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक 2324–25 दिनांक 05/02/19 द्वारा स्वीकृत ।		
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।		
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–3,420 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–3,420 घनमीटर/वर्ष है।		
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानुपर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 852 दिनांक 08/09/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 02.95 है. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।		
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानुपर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 852 दिनांक 08/09/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जौन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।		
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानुपर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 852 दिनांक 08/09/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं हैं।		
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत हतनूर जिला बुरहानपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–3 दिनांक 29/05/14 अनुसार प्रस्तावित रथल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।		

712वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 10 जनवरी 2024

प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existed - Some Tree
प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	पूर्व दिशा— नदी लगभग 208 मी.
	पश्चिम दिशा मे एक प्राकृतिक नाला खदान से लगा हुआ है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा 50 मी का सेटबेक दिया गया है।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	<p>कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानुपर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 852 दिनांक 08/09/23 अनुसार उक्त खदान नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में जोड़ी जावेगी।</p> <p>समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाधौत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशासित किया जाये।</p>

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान के लिये जारी एलओआई क्रमांक 2324–25 दिनांक 05/02/2019 में उल्लेख है कि ग्राम बोहरडा के खसरा क्रमांक 183/1 के आवेदित रकबा 3.7 है. से प्रतिबंधित क्षेत्र छोड़कर 1.7 है पर यांत्रिक किया से गिट्टी बनाने के लिये पथर (कशर के उपयोग हेतु) उत्थनित पट्टा नवकरण पर अवधि 08/07/2015 से 10 वर्ष के लिये स्वीकृत किया जाकर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 8439 दिनांक 18/05/2018 एवं संशोधन दिनांक 01/10/2018 द्वारा सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर 06 माह के अंदर अनुमोदित खनन योजना प्रस्तुत करने का लेख किया गया है।

प्रकरण के परीक्षण के दौरान समिति ने पाया कि खदान के उत्तर की दिशा में 02 गढ़े दिख रहे हैं। इन गढ़े के पास ईट भट्टे भी हैं। गढ़ों में से भरे पानी का बहाव नीचे की ओर है, जो प्राकृतिक नाला प्रतीत होता है, जिससे स्पष्ट होता है की नाले का निर्माण ईट भट्टे के प्रयोजन के लिये किया गया होगा गढ़े में पानी भरने के पश्चात जल भराव आगे की तरफ निकल कर खदान की ओर दिख रहा है। ऐसा स्पष्ट है कि यह प्राकृतिक नाला नहीं है फिर भी भविष्य में मृदा का कटाव जल ग्रहण क्षेत्र में न हो इस लिये 50मी. का सेटबेक छोड़ा गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

712वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 10 जनवरी 2024

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर—3,420 घनमीटर/वर्ष ।
2. खदान के लिये जारी एल.ओ.आई क्रमांक 2324–25 दिनांक 05/02/2019 में उल्लेख में निम्न शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगा –
 - यदि प्रश्नाधिन क्षेत्र प्रदेश के पॉचवी अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है तो वह प्रस्ताव संबंधित केन्द्रीय विधान/राज्य के विधि/नियम/नियमन, न्यायालयीन निर्णय आदि के अनुवर्ती रहेगा तथा यह सुनिश्चित कर लिया जाये की किसी भी न्यायालय के ऐसे कोई आदेश न हो जो प्रश्नाधिन खनि रियायत की ग्रांड को प्रभावित करते हो।
3. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 07.66 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 01.11 लाख प्रति वर्ष ।
4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (में .रु)
सी.ई.आर मद से 60,000 की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम बोहरडा के शासकीय प्राथमिक शाला के खाते में शाला विकास कार्य हेतु जमा की जावेगी।	60,000/-

1. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 2000 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

क्रं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन मे वृक्षारोपण	चिरोल, नीम, पुतराजिवा, कारंज, जंगल जलेबी, करंज, अमलताश, गुलमोहर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	500
2	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आवलाँ, अमरुद, मुनगा, पपीता निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1250
3	परिवहन मार्ग के दोनों तरफ (मीटर 1 पेड़ों की न्यूतम ऊंचाई)	करंज, कटम, चिरोल, जंगल जलेबी, अमलताश, गुलमोहर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	250

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख—रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

712वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 10 जनवरी 2024

9. Case No 10842/2023 Shri Kamal Singh, Lessee, R/o Village-Balodalakha, Gram Panchayat-Balodalakha, Tehsil-Badnagar, District-Ujjain (MP)-456776, Prior Environment Clearance for Balodalakha Murrum Quarry in an area of 1.65 ha. (10000 cum per year) (Khasra No. 291), Village-Baloda Lakha, Tehsil-Badnagar, District-Ujjain (MP)

प्रस्तावित मुरम खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 10/01/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री कमल सिंह, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर, उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri KAMAL SINGH, Lessee, Village- Balodalakha, Gram Panchayat- Balodalakha, Tehsil- Badnagar, District- Ujjain, Madhya Pradesh.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	291 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	1.65 hectare.
स्थल	Village- Balodalakha, Tehsil- Badnagar, District- Ujjain, State- Madhya Pradesh.	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक 1186 दिनांक 17/05/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा मुरम-10,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार मुरम-10,000 घनमीटर/वर्ष है। (अपलोड खनन् योजना में सिंगेचर नॉट वेरीफाइड)	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 5063 दिनांक 12/09/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित / स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 5063 दिनांक 12/09/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 5063 दिनांक 12/09/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक,	

712वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 10 जनवरी 2024

	रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बालोदा लक्खा जिला उज्जैन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक—2 दिनांक 16/12/22 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया कि खदान क्षेत्र में 35 पेड है जिनमें से 27 पेड काटे जाना प्रस्तावित है जिसके एवज में 270 पेड अतिरिक्त लगाये जावेंगे ।
प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया कि गढ़ा खदान क्षेत्र में पूर्व से है । उत्तर दिशा— कच्चा रोड लगभग 7.50 मी. 10मी. क्षेत्र गैर खनन क्षेत्र के रूप में छोड़ा गया है ।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैनद के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 5063 दिनांक 12/09/23 अनुसार नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उक्त खदान सम्मिलित कर ली जावेगी । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाधौत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेप्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता मुरम—10,000 घनमीटर/वर्ष ।
2. खदान क्षेत्र में 35 पेड है जिनमें से 27 पेड काटे जाना प्रस्तावित है परियोजना प्रस्तावक पेड काटने से पूर्व सक्षम अधिकारी की अनुमति आवश्यक रूप से प्राप्त करेंगे ।
3. जिस प्रजाति के पेड काटे जाना प्रस्तावित है उसी प्रजाति के अतिरिक्त 270 पेड लगाये जाना सुनिश्चित करेंगे ।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 16.88 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 03.73 लाख प्रति वर्ष ।
5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

712वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 10 जनवरी 2024

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (में .रु)
ग्राम बालोदा लक्खा के आंगनवाड़ी केंद्र के अधोसंरचना विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी	60,000

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 2070 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	हरित पट्टी (7.50 मीटर बेरियर जोन में 880 मीटर की लम्बाई पर तीन लाइनों में वृक्षारोपण किया जायेगा)	नीम, पीपल, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, खमेर, सिस्सू आदि।	660
2	पट्टा क्षेत्र के बाहर अप्रोच रोड(600 मीटर) के दोनों ओर 4 फीट की ऊचाई वाले पौधे लगाए जायेंगे ट्री गार्ड के साथ में	नीम, पीपल, कचनार, करंज, चिरोल, आदि	300
3	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	आम, जामुन, अमरुद, आंवला, अनार, निम्बू कटहल, आदि	840
	पट्टा क्षेत्र के अंदर काटे जाने वाले वृक्षों के बदले लगाए जाने वाले पौधों की संख्या	नीम, पीपल, कचनार, करंज, चिरोल, आम, जामुन, अमरुद, आंवला, अनार, निम्बू, कटहल, आदि	270
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख—रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।			

10. Case No 10841/2023 Shri Tapassam Khatri, Owner, R/o House No. 374, Ambedkar Ward, Mastana Chowk, Ranjhi, District-Jabalpur (MP)-482001, Prior Environment Clearance for Padariya Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (9995 cum per year) (Khasra No. 562), Village-Padariya, Tehsil-Kundam, District-Jabalpur (MP) [DEIAA]

712वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 10 जनवरी 2024

प्रस्तावित पत्थर खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 10/01/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Tapassam Khatri एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार सुश्री रशिम सारस्वत मेसर्स Zenith Environment Consultancy, Noida U.P. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण		परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	TAPASSAM KHATRI, Owner, Resi- House no. 374, Ambedkar ward, Mastana Chouk, Ranjhi, District- Jabalpur, State- M.P		
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	562(सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)		2.0 hectare.
स्थल	Village- Padariya, Tehsil- Kundam, District- Jabalpur (M.P.)		
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के पत्र क्रमांक 190 दिनांक 22/02/19 के द्वारा स्वीकृत ।		
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।		
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया जबलपुर के पत्र क्रमांक 191 दिनांक 29/09/18 के द्वारा पत्थर-10,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।		
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया ।		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-9,995 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर-9,995 घनमीटर/वर्ष है ।		
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 687 दिनांक 22/08/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित /स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।		
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 687 दिनांक 22/08/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको संसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।		
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 687 दिनांक 22/08/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।		

712वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 10 जनवरी 2024

ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत सूपावारा जिला जबलपुर के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 26/01/18 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling - No
प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	पूर्व दिशा— कच्ची रोड खदान के समीप है अतः रोड से 50 मी. का सेटबेक छोड़ा गया है।
	पश्चिम दिशा— पक्का रोड लगभग 148 मी. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि खनन में ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-16 के सरल क्रमांक-23 पर दर्ज है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि खनन में ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है एवं स्वयं की भूमि पर पूर्व से स्थापित कशर का उपयोग करेगें जो कि लीज क्षेत्र के बाहर स्थित है।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्ण मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई।

समिति द्वारा पूर्व में जारी ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा के दौरान निम्न शर्तों का पालन प्रतिवेदन देखा गया —

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई तथा बेरियर जोन में खनन कार्य एवं डम्प देखे गये।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
पौधारोपण की स्थिति	अपूर्ण
अनुमोदित मार्झिनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	अपूर्ण

712वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 10 जनवरी 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेपडब्ल्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पथर—9,995 घनमीटर/वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 06.53 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 02.05 लाख प्रति वर्ष।
3. डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शायें गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 03 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
4. बैरियर जोन में से डम्प हटाया जाये।
5. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
6. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
7. अन्य शर्तों का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
8. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.70 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सीमद से प्रस्तावित गतिविधि .आर.इ.	राशि (में .रु)
शासकीय एकीकृत हाईस्कूल सूपावारा में 2 0बैच व 5 कुर्सियों की व्यवस्था	25,000
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आवश्यकतानुसार सामग्री का वितरण	45,000

9. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 2000 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	नीम, खमेर, सिरस (काला और सफेद), जंगल जलेबी, आंवला, चिरोल, करंज, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	200
2	परिवहन मार्ग	खमेर, चिरोल, करंज, बीजा, जंगल जलेबी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	300
3	गैर खनन क्षेत्र	खमेर, चिरोल, करंज, महुआ, सेजा, बीजा	300

712वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 10 जनवरी 2024

		एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	
4	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्रा, महुआ, कबीट, नींबू, बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	500
5	ग्राम पंचायत के सहयोग से ग्राम पंचायत के चिन्हित क्षेत्र में	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्रा, महुआ, कबीट, नींबू, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	500
6	ग्राम पंचायत के प्राथमिक शाला, आंगनवाड़ी एवं ग्राम पंचायत परिसर में	कदम, नीम, खमेर, सिस्सू, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	200
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये। गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाइल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

11. Case No 9683/2023 Shri Sanjay Patwala, Partner, M/s Kamdhenu Stone and Sand, R/o 24, Teacher Colony, Ratlam (MP)-452012, Prior Environment Clearance for Bibdod Stone Quarry in an area of 3.750 ha. (Expansion from 42,000 to 90000 Cum per annum) (Khasra No. 126 Part), Village- Bibdod, Tehsil-Ratlam, District-Ratlam (MP) (EIA)

प्रस्तावित पत्थर खदान बी-1 श्रेणी के पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन के लिए ईआईए का है, जिसमें आज दिनांक 10/01/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री संजय पटवाला, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अजय मोहन, मेसर्स इन सिटू इंव्यारो केयर, भोपाल उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri SANJAY PATWALA, PARTNER, M/s KAMDHENU STONE AND SAND, 24, TEACHER COLONY, RATLAM (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	126 Part (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	3.75 hectare.
स्थल	VILLAGE - BIBDOD, TEHSIL & DISTRICT - RATLAM, MADHYA PRADESH.	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के पत्र क्रमांक 944	

712वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 10 जनवरी 2024

	दिनांक 18/12/19 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया रतलाम के पत्र क्रमांक 231 दिनांक 31/05/16 के द्वारा पत्थर—42,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।
टॉर	सेक की 630वीं बैठक दिनांक 17/03/23 को अनुशंसित, सिया के पत्र क्रमांक 143 दिनांक 18/4/23 के द्वारा Expansion from 42,000 to 90000 Cum per annum के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
प्रकरण की स्थिति	क्षमता विस्तार डिया से सिया ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम उत्पादन बसाल्ट पत्थर—90,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन पत्थर—90,000 घनमीटर/वर्ष है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1972 दिनांक 25/11/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 09 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 23.80 है. होता है, अतः प्रकरण बी—1 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1972 दिनांक 25/11/22 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1972 दिनांक 25/11/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बिबडौद जिला रतलाम के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 26/01/17 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान की नदी से दूरी 105 मी. की है प्रकरण में खनन कार्य रॉक ब्रेकर के द्वारा किया जावेगा, ब्लास्टिंग किया जाना प्रस्तावित नहीं है ।
प्रस्तावि खदान की	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की

712वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 10 जनवरी 2024

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-10 के सरल क्रमांक-57 पर दर्ज है।
जन सुनवाई	समिति द्वारा प्रकरण में प्राप्त जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक/पर्यावरणीय कार्यों की समीक्षा की गई।

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान की नदी से दूरी 105 मी. की है प्रकरण में खनन कार्य रॉक ब्रेकर के द्वारा किया जावेगा, ब्लास्टिंग किया जाना प्रस्तावित नहीं है। इस संबंध में समिति ने निर्देश दिये कि परियोजना प्रस्तावक ईआईए के साथ नॉन ब्लास्टिंग का अनुमेदित खनन् योजना प्रस्तुत करें। परीक्षण के उपरांत समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निम्न बिन्दुओं पर जानकारी एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया :—

- परियोजना प्रस्तावक ईआईए के साथ नॉन ब्लास्टिंग का अनुमेदित खनन् योजना प्रस्तुत करें।
- खदान की नदी से दूरी 105 मी. की है, अतः नदी के साथ अन्य संवदनशील बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुये निर्धारित सेटबेक देते हुये पुर्नरक्षित सरफेस मेप प्रस्तुत करें।

12. Case No 9888/2023 Shri Vishal Parihar, Proprietor, R/o Diwanpura, Cinema Line, District-Rajnandgaon (CG)-491441, Prior Environment Clearance for Bhatgawa-Sunehara Dolomite Mine in an area of 11.410 ha. (1,00,448.25 Tonne per annum) (Khasra No. 459/1, 385/1, 385/3, 457/1), Village- Bhatgawa-Sunehara, Tehsil-Murwara, District-Katni (MP) (EIA)

प्रस्तावित डोलोमाइट खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए ईआईए का है।

परियोजना प्रस्तावक ने इस प्रकरण में पूर्व में कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया लि., को पर्यावरण सलाहकार नियुक्ति किया गया था किंतु अब उनके द्वारा मेसर्स ए.एस.जी. इंवायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि., दिल्ली को नियुक्त किया गया।

आज दिनांक 10/01/2024 को परियोजना प्रस्तावक विशाल परिहार, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी मेसर्स ए.एस.जी. इंवायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि., दिल्ली उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri VISHAL PARIHAR, Proprietor, Diwanpara,Cinema line Rajnandgoan (C.G.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	459/1, 385/1, 385/3, 457/1 (निजी-नॉन फॉरेस्ट लेंड)	11.41 hectare.

712वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 10 जनवरी 2024

स्थल	Villsge BHATGAWA-SUNEHARA, Tehsil-MURWARA , District- Katni (M.P.)
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक 10553—54 दिनांक 03 / 08 / 22 द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
टॉर	सेक की 644वीं बैठक दिनांक 12 / 05 / 23 को अनुशंसित, सिया के पत्र क्रमांक 601 दिनांक 06 / 06 / 23 के द्वारा Dolomite-1,00,448.25 TPA घनमीटर/वर्ष के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट / डिया से सिया/क्षमता विस्तार ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता Dolomite-1,00,448.25 TPA हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार Dolomite-1,00,448.25 TPA है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 260 दिनांक 04 / 02 / 23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित / स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी—1 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 260 दिनांक 04 / 02 / 23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 260 दिनांक 04 / 02 / 23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत भटगवां सुनहरा जिला कटनी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक—5 दिनांक 19 / 02 / 22 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया कि खदान क्षेत्र में 07 पेड है जिनमें से 02 पेड काटे जाना प्रस्तावित है जिसके एवज में 20 पेड अतिरिक्त लगाये जावेंगे ।
प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया उत्तर पश्चिम दिशा में जो पेड है वह क्षेत्र गेर खनन क्षेत्र के रूप में संरक्षित रहेगा ।

712वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 10 जनवरी 2024

	पूर्व दिशा— पक्का रोड लगभग 500 मी.
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-66 के सरल क्रमांक-11 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई	समिति द्वारा प्रकरण में प्राप्त जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक / पर्यावरणीय कार्यों की समीक्षा की गई।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेप्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता 1,00,448.25 Tonne per annum.
2. जिस प्रजाति के पेड़ काटे जाना प्रस्तावित है उसी प्रजाति के अतिरिक्त पेड़ लगाये जाना सुनिश्चित करें।
3. खदान क्षेत्र में उत्तर पश्चिम दिशा एवं दक्षिण दिशा में जहां पेड़ है वह क्षेत्र गैर खनन क्षेत्र के रूप में संरक्षित रहेगा।
4. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
5. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
- 6- Stone Pulverising खनन क्षेत्र में नहीं की जा सकेगी।
7. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 22.41 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 09.94 लाख प्रति वर्ष ।
8. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (में .रु)
बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व के वन्य प्राणी के रहवास एवं वन्य कर्मचारी कल्याण हेतु सी.ई.आर मद से 1,00,000 की राशि प्रधान मुख्य वन संरक्षक कटनी (म.प्र.) के खाते में हेतु जमा की जावेगी।	100,000

9. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 13720 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

712वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 10 जनवरी 2024

क्र.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन मे वृक्षारोपण + No Mining Zone	चिरोल, नीम, जंगल जलेबी, करंज, अमलताश, गुलमोहर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1600 +20
2	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आवलाँ, अमरुद, ग्राफिटंग मुनगा, पपीता, निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	11400
3	परिवहन मार्ग के दोनों तरफ (मीटर 1 पेड़ों की न्यूतम ऊंचाई)	करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	700
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये। गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाइल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

- 13. Case No 9682/2023 Shri Sanjay Patwala, Partner, M/s Kamdhenu Stone and Sand, R/o 24, Teacher Colony, Ratlam (MP)-452012, Prior Environment Clearance for Bibdod Stone Quarry (Gitti & M-Sand) in an area of 3.750 ha. (Stone-35000 & M-Sand-90000 Cum per annum) (Khasra No. 126P), Village- Bibdod, Tehsil-Ratlam, District-Ratlam (MP) (EIA)**

प्रस्तावित **Gitti** एवं **M-Sand** खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन के लिए ईआईए का है, जिसमें आज दिनांक 10/01/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री संजय पटवाला, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अजय मोहन, मेसर्स इन सिटू इंव्यारो केयर, भोपाल उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri SANJAY PATWALA, PARTNER, M/s KAMDHENU STONE AND SAND, 4, TEACHER COLONY, RATLAM (MP.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	126 Part (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	3.750 hectare.
स्थल	Village- Bibdod, Tehsil & District- Ratlam (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के पत्र क्रमांक ..944	

712वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 10 जनवरी 2024

	दिनांक 18/12/19 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया रतलाम के पत्र क्रमांक 289 दिनांक 31/05/16 के द्वारा पत्थर—35,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है
टॉर	सेक की 630वीं बैठक दिनांक 17/03/23 को अनुशासित, सिया के पत्र क्रमांक 145 दिनांक 18/4/23 के द्वारा पत्थर—35,000 घनमीटर/वर्ष से पत्थर एवं एम सेंड—1,25,000 Cum./Year (Gitti - 35000 Cum/year and M-Sand - 90000 Cum./year) के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया—क्षमता विस्तार ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर एवं एम सेंड—1,25,000 Cum./Year (Gitti - 35000 Cum/year and M-Sand - 90000 Cum./year) हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार Gitti - 35000 Cum/year and M-Sand - 90000 Cum./year है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1973 दिनांक 25/11/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 09 अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 24.25 है. होता है, अतः प्रकरण बी—1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1973 दिनांक 25/11/22 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जौन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं हैं।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1973 दिनांक 25/11/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बिबडौद जिला रतलाम के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक—6 दिनांक 26/01/17 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण पश्चिम दिशा—नदी लगभग 182 मी. 12 मी. का सेटबेक प्रस्तावित है।

712वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 10 जनवरी 2024

प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-10 के सरल क्रमांक-58 पर दर्ज है।
जन सुनवाई	समिति द्वारा प्रकरण में प्राप्त जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक/पर्यावरणीय कार्यों की समीक्षा की गई।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति को प्रस्तुतीकरण के प्रांभ में अवगत कराया गया कि प्रस्तुत प्रकरण लीज अंतरण का है, पूर्व में लीज श्री वैभव कुमार लुनिया के नाम से डिया से ई.सी. (no. 289/DEIAA-DEAC/2016-17 Ratlam dated 31.05.2016) जारी हुई थी। यह खदान नवीन परियोजन प्रस्तावक श्री संजय पटवाला को अंतरण (vide letter no. 944/Khanij/2019-20 Ratlam dated 18.12.2019) हुई है, अतः नवीन परियोजना प्रस्तावक के लिये यह नवीन प्रकरण है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेप्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Gitti - 35000 Cum/year and M-Sand - 90000 Cum./year.
2. खदान के दक्षिण पश्चिम दिशा में नदी लगभग 182 मी. 12 मी. का क्षेत्र गैर खनन के रूप में संरक्षित रखा जावेगा।
3. खदानों में खनिज परिवहन हेतु BS6 (sixth version of the emission standards) मानक वाले वाहनों का उपयोग किया जावेगा।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 12.99 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 04.07 लाख प्रति वर्ष।
5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सीमद से प्रस्तावित गतिविधि .आर.इ.	राशि (में .रु)
बिबडौद स्कूल के प्रधानाचार्य के निर्देशानुसार आवश्यक सामग्री के लिए जमाराशी	1,00,000.00
पंचायत को जाने वाली सड़क का रख रखावा।-	50,000.00

712वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 10 जनवरी 2024

2. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 4500 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरिअर ज़ोन में वृक्षारोपण	करंज , चिरोल, जंगल जलेबी ,पीपल, व स्थानीय प्रजाति आदि । पौधों के बीच में एक सीताफल पौधे का 4 रोपण किया जाएगा ।	1125
2	आवागमन सड़क पर वृक्षारोपण	नीम , खमार, बबूल, जंगल जलेबी, करंज चिरोल, व कस्तर आदि ।	1125
3	बिबड़ौद स्कूल एवं ग्राम पंचायत बिबड़ौद के पास तथा ग्राम से पहुंच मार्ग तक वृक्षारोपण	खमार, कदम्ब, सिस्सू, पीपल, करंज एवं स्थानीय प्रजातियाँ ।	1125
4	बिबड़ौद ग्रामवासियों को पौधों का वितरण	आम, ईमली, बेल, आवला, सीताफल, मुनगा, नींबू व स्थानीय प्रजाति आदि।	1125

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख—रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

14. Case No 10843/2023 Shri Kantilal Vagrecha, Lessee, R/o Village-Khawasa, Thandla, District-Jhabua (MP)-457772, Prior Environment Clearance for Bhamal Crusher Stone Deposit in an area of 1.00 ha. (4850 cum per year) (Khasra No. 2080,2081,2082,2083,2084), Village -Bhamal,Tehsil-Thandla,District-Jhabua.

प्रस्तावित Shri Kantilal Vagrecha, खदान बी—2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 10/01/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Kantilal Vagrecha एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर, उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक	Shri KANTILAL VAGRECHA, Lessee, Village -Khawasa, Thandla, District-

712वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 10 जनवरी 2024

का नाम व पता	Jhabua (M.P)		
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	2080,2081,2082,2083,2084	(सरकारी —नॉन फॉरेस्ट लैंड)	—नॉन 1.00 hectare.
स्थल	Village -Bhamal,Tehsil-Thandla,District-Jhabua.		
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के पत्र क्रमांक 100 दिनांक 10/01/18 के द्वारा स्वीकृत ।		
ब्लास्टिंग/ रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।		
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया झाबुआ के पत्र क्रमांक 106 दिनांक 22/11/17 के द्वारा पत्थर—4850 घनमीटर / वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।		
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट / डिया से सिया/क्षमता विस्तार ।		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर—4,850 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर—4,850 घनमीटर/वर्ष है।		
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1036 दिनांक 27/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी—2 श्रेणी का है।		
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1036 दिनांक 27/10/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको संसेटिव जौन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।		
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1036 दिनांक 27/10/23 अनुसार 50 मीटर पर कच्चा रास्ता/नाला एवं 300 मीटर पर जलीय निकाय स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।		
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत भामला जिला झाबुआ के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक—34 दिनांक 26/01/17 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।		
प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा— परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि लगभग 20 मी. पर खदान का साईट ऑफिस है। पश्चिम दिशा— प्राकृतिक नाला लगभग 20 मी., 30 मी. का सेटबेक प्रस्तावित है।		
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.—18 के सरल क्रमांक—27 पर दर्ज है ।		

712वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 10 जनवरी 2024

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई।

समिति द्वारा पूर्व में जारी ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा के दौरान निम्न शर्तों का पालन प्रतिवेदन देखा गया –

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई। बेरियर जोन में भी खुदाई की गई है।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
गारलेप्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
पौधारोपण की स्थिति	पी.पी ने बताया कि लगभग 50 पौधे लगाये हैं।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया कि प्रकरण में ब्लास्टिंग प्रस्तावित है। खनिज विभाग में नॉन माईनिंग के लिये आवेदन किया गया है। नॉन माईनिंग प्लान जमा कर दिया जायेगा समिति ने विचारोपरांत परियोजना प्रस्तावक के प्रस्ताव को मान्य करते हुये उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत करने हेतु एडीएस जारी किया जावे।

15. Case No 10847/2023 Shri Mukesh Patidar, Lessee, R/o Village-Silkuwa, Tehsil-Dahi, District-Dhar (MP)-454331, Prior Environment Clearance for Tana Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (25677 cum per year) (Khasra No. 33/1), Village-Tanda, Tehsil-Kukshi, District-Dhar (MP) [DEIAA] (TOR)

प्रस्तावित पथर खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन के लिए टॉर/ईआईए का है, जिसमें आज दिनांक 10/3/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री मुकेश पाटीदार एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स एपेक्स मिनिटेक कांसल्टेंट, उदयपुर, उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक	Shri MUKESH PATIDAR, Leassee, Village Silkuwa, Tehsil Dahi, Dist. Dhar (M.P.)

712वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 10 जनवरी 2024

का नाम व पता		
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	33/1 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	2.00 hectare.
स्थल	Village Tana, Tehsil Kukshi, Dist. Dhar (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के पत्र क्रमांक 387 दिनांक 01 / 03 / 17 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया धार के पत्र क्रमांक 33 दिनांक 25 / 03 / 18 के द्वारा पत्थर–25,677 घनमीटर/ वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–25,677 घनमीटर/ वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–25,677 घनमीटर/ वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2308 दिनांक 02 / 11 / 23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें संचालित/ स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 08.00 है. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2308 दिनांक 02 / 11 / 23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य/ ईको सेंसेटिव जौन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं हैं।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2308 दिनांक 02 / 11 / 23 अनुसार 300 मीटर पर नाला स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं हैं।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत चिप्राटा जिला धार के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–6 दिनांक 16 / 08 / 14 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा— दक्षिण दिशा— प्राकृतिक नाला लगभग 24 मी. पूर्व दिशा— पश्चिम दिशा— नदी लगभग 500 मी. से अधिक दूरी पर ।	
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–28 के सरल क्रमांक–10 पर दर्ज है ।	

प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा

712वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 10 जनवरी 2024

जारी स्टेप्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ निम्न टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:-

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:
4. Current Ekal Praman Patra
5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
7. OB Dump and waste management with facts and figures:
8. Top soil management with soil profile:
9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no.....date.....
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
 - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
 - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
 - Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
 - GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
 - Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
 - Verifiable proof of CER
17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
18. Carbon footprint.
19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
20. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सड़क, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शाते हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
21. नवीन ग्रामसभा की ठहराव प्रस्ताव/अनापत्ति प्रमाण पत्र ।
22. यदि प्रकरण पैसा ग्राम में स्थित है तो पैसा ग्राम सभा का प्रस्ताव ।

712वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 10 जनवरी 2024

23. प्रश्नाधीन खदान में यदि पेड़ लगे हो तो उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ के फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

16. Case No 10848/2023 Shri Arun Pratap Singh Bhadaria, Partner, M/s AB Construction, M.R. C-518, Anand Nagar, Sanwar Road, District-Ujjain (MP)-456010, Prior Environment Clearance for Rudaheda Stone & M-Sand Mine in an area of 1.00 ha. (M-Sand-79152, Gitti-19788 cum per year) (Khasra No. 563), Village-Rudahera, Tehsil-Ghatiya, District-Ujjain (MP) [DEIAA] TOR)

प्रस्तावित **Stone & M-Sand Mine** खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन के लिए टॉर/ईआईए का है, जिसमें आज दिनांक 10/01/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री अरुण प्रताप सिंह भदौरिया, ऑनलाइन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Arun Pratap Singh Bhadaria, Partner, M/s AB CONSTRUCTION, M.R.C-518,Anand Nagar,Sanwar Road, Ujjain (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	563(सरकारी —नॉन फॉरेस्ट लैंड)	4.00 hectare.
स्थल	Village -Rudaheda, Tehsil-Ghatita, District -Ujjain, Madhya Pradesh.	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक 2578 दिनांक 25/11/17 के द्वारा स्वीकृत।	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया उज्जैन के पत्र क्रमांक 15 दिनांक 05/10/18 के द्वारा पत्थर-9700 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-19,788 घनमीटर/वर्ष एवं एम सेंड-79,152 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर-19,788 घनमीटर/वर्ष एवं एम सेंड-79,152 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 568 दिनांक 02/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 09.00 है. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र	

712वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 10 जनवरी 2024

की अनापत्ति	क्रमांक 568 दिनांक 02/03/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 568 दिनांक 02/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत रुदाहेडा जिला उज्जैन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक—11 दिनांक 26/01/17 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य का सशर्त प्रस्ताव पारित।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के के सरल क्रमांक—24 पर दर्ज है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान में कोई कार्य नहीं हुआ है। खनन कार्य भी नहीं हुआ है खदान 2018 से स्वीकृत है, अभी तक भू—प्रवेश नहीं मिला है एवं खदान क्षेत्र में एक वैकल्पिक मार्ग प्रस्तावित है।

प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेप्डर्ड टॉर, एनेक्जर—डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ निम्न टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:—

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:
4. Current Ekal Praman Patra
5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patra/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
7. OB Dump and waste management with facts and figures:
8. Top soil management with soil profile:
9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no.....date.....
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions

712वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 10 जनवरी 2024

12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
 - a. Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
 - b. GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
 - c. Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
 - d. GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
 - e. Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
 - f. Verifiable proof of CER
17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
18. Carbon footprint.
19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
20. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सड़क, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शाते हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
21. नवीन ग्रामसभा की ठहराव प्रस्ताव/अनापत्ति प्रमाण पत्र।
22. वैकल्पिक मार्ग हेतु ग्रामसभा की सहमति एवं जनसुनवाई के दौरान में इस बिन्दु पर जन समुदाय से चर्चा करें।
23. यदि प्रकरण पैसा ग्राम में स्थित है तो पैसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।
24. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊर्चाई एवं गर्थ के फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

17. Case No 10820/2023 Shri Ish Kumar Sood, Partner, M/s Sahyog Metals, R/o E-2/42, Arera Colony, R S Nagar, District-Bhopal (MP)-462016, Prior Environment Clearance for Bamladad Stone Quarry in an area of 3.90 ha. (20001 cum per year) (Khasra No. 97), Village-Bamala Dad, Tehsil-Ichhawar, District-Sehore (MP) (TOR)

यह प्रकरण समिति की पूर्व की 709वीं बैठक दिनांक 04/1/24 को प्रस्तुतीकरण हो चुका है, त्रृटिवश यह प्रकरण आज दिनांक 10/01/24 में सूचीबद्ध हो गया है ।

712वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 10 जनवरी 2024

18. Case No 10850/2023 Ms. Mohani Bai, Lessee, R/o Village-Aariya, Tehsil-Bagli, District-Dewas (MP)-455227, Prior Environment Clearance for Eklera Stone Quarry in an area of 1.430 ha. (15000 cum per year) (Khasra No. 584), Village-Eklera, Tehsil-Bagli, District-Dewas (MP) TOR

प्रस्तावित पत्थर खदान बी—1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 10/01/2024 को परियोजना प्रस्तावक **Ms. Mohani Bai, Online** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri MOHANI BAI, Lessee, R/o-Village- Aariya, Tehsil- Bagli, District- Dewas (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	584 (सरकारी —नॉन फॉरेस्ट लैंड)	1.430 hectare.
स्थल	Village - Eklera, Tehsil- Bagli, District- Dewas (M.P.)	
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक 12616–20 दिनांक 21/09/23 के द्वारा स्वीकृत।	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर—15,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर—15,000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 2030 दिनांक 16/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 06.35 है. होता है, अतः प्रकरण बी—1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 2030 दिनांक 16/10/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 2030 दिनांक 16/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील	

712वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 10 जनवरी 2024

	क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/ नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत इकलेरा जिला देवास के ठहराव प्रस्ताव के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling - Additional tree to be planted -
प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया किखदान क्षेत्र खुदा हुआ है। <ul style="list-style-type: none"> ● खदान क्षेत्र के उत्तर दिशा में 300 मी. पर रेल्वे लाईन है ● लीज क्षेत्र से लगे हुये जो संरचना दिखाई दे रही है वह साईट ऑफिस है।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के पत्र क्रमांक 2032 दिनांक 16 / 10 / 23 अनुसार उक्त खदान को नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जावेगा ।

प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेप्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ निम्न टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:-

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:
4. Current Ekal Praman Patra
5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patra/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
7. OB Dump and waste management with facts and figures:
8. Top soil management with soil profile:
9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no.....date.....
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:

712वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 10 जनवरी 2024

15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:

16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):

- a. Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
- b. GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
- c. Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
- d. GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
- e. Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
- f. Verifiable proof of CER

17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.

18. Carbon footprint.

19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.

20. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सड़क, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शाते हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

21. नवीन ग्रामसभा की ठहराव प्रस्ताव/अनापत्ति प्रमाण पत्र।

22. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान।

23. यदि प्रकरण पैसा ग्राम में स्थित है तो पैसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।

24. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ के फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

19. **Case No 10846/2023 Shri Rahul Patwala, Lessee, R/o 72, Sukh Niwas, Rau Rangwasa, District-Indore (MP)-453331, Prior Environment Clearance for Morukhedi Stone Quarry in an area of 3.730 ha. (31350 cum per year) (Khasra No. 204, 205, 206, 218/2), Village-Molakhedi, Tehsil-Ujjain, District-Ujjain (MP) [DEIAA] TOR**

प्रस्तावित पत्थर खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 10/01/24 को परियोजना प्रस्तावक राहुल पटवाला एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स एपेक्स मिनिटेक कांसल्टेंट, उदयपुर, उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri RAHUL PATWALA, Lessee, R/o- 72 Sukh Niwas Rau Rangwasa, District- Indore, State- Madhya Pradesh.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	204, 205, 206, 218/2 (निजी-नॉन फॉरेस्ट लेंड भू-स्वामियों की सहमति पत्र अपलोड नहीं है)	3.73 hectare.
स्थल	Village- Morukhedi, Tehsil- Ujjain, Dist. Ujjain (M.P.)	

712वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 10 जनवरी 2024

लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक दिनांक 20/10/23 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है जबकि परियोजना प्रस्तावक ने फार्म-1 के बिंदु क्रमांक 19.1 में नहीं उल्लेखित है।
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया ।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया उज्जैन के पत्र क्रमांक 1160 दिनांक 31/05/16 के द्वारा पत्थर-31,350 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-31,350 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर-31,350 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र दिनांक 20/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकमा 09.99 है. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र दिनांक दिनांक 20/10/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र दिनांक 20/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	नगर पालिक निगम, उज्जैन के पत्र क्रमांक 124 दिनांक 24/01/20 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से निकाय को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के सरल क्रमांक-20 पर दर्ज है ।

प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेप्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ निम्न टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:-

712वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 10 जनवरी 2024

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:
4. Current Ekal Praman Patra
5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
7. OB Dump and waste management with facts and figures:
8. Top soil management with soil profile:
9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no.....date.....
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
 - a. Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
 - b. GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
 - c. Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
 - d. GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
 - e. Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
 - f. Verifiable proof of CER
17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
18. Carbon footprint.
19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
20. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सड़क, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शाते हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
21. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान।
22. यदि प्रकरण पैसा ग्राम में स्थित है तो पैसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।
23. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊर्चाई एवं गर्थ के फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

(चंद्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

712वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 10 जनवरी 2024

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.

712वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 10 जनवरी 2024

19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
 - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
 - f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.

712वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 10 जनवरी 2024

34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.

712वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 10 जनवरी 2024

16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M. of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - g. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - j. Minable Potential of sand mine.
 - k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - l. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
 - i. The Licensee must use minimum number of poclaims and it should not be more than two in the project site.
 - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
 - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
 - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.

712वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 10 जनवरी 2024

- vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
 - vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
 - viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
37. As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 , Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) “from the river.....bank” shall be restricted should be followed in verbatim as the para says.
38. विगत वर्षों में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।
39. पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तों का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

Annexure- ‘C’

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.

712वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 10 जनवरी 2024

6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M. of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - m. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - p. Minable Potential of sand mine.

712वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 10 जनवरी 2024

- q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - r. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP).
28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP).
29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
37. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutants in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.
38. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
39. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.
40. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.
41. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.

712वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 10 जनवरी 2024

42. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouring.
43. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carriedout every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.
44. The top soil in Khodu-Bharu Sand mine shall be stored separately and shall be used for agriculture field only; it should not be washed away during sand washing process.

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.

712वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 10 जनवरी 2024

21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M. of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna".
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking inter-alia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carriedout in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and dicussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three yaears and details of total land holding of the PP in that district.
34. In case of mining on land where the land belongs to Charaghah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
 - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
 - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
 - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
 - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.

712वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 10 जनवरी 2024

36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
- ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
 - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP).
 - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
 - ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
 - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
 - ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :-

- नोट 1 :- स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।
- नोट 2 :- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है ।
- नोट 3 :- पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नर्मी को बनाये रखने हेतु मल्टिग जल-संरचनाओं का निर्माण, निर्दाई-गुडाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
- नोट 4 :- परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ों के चारों ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्कूल/ ऑगनवाडी/ पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणों के चारों ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फैसिंग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जाये ।
- नोट 5 :- भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चेनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए ।
- नोट 6 :- रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	जँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 – 03.0 फिट	03–05 से. मी.
2.	रोड साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 – 05.5 फिट	05–10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निर्दाई-गुडाई, थाला (1.5 मी.गोलाई मे) तीन वर्षों तक ।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख –

712वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 10 जनवरी 2024

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुडाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, मटुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 परियों आने पर, पौधे के चारों तरफ निर्दाई—गुडाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।
- सीड़—बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

नोट – 8 :- रेत के प्रकरणों में (पौधों की ऊँचाई न्यूनतम् 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास बीजप्रजातियाँ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधों के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम् दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट – 9 :- छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम् 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, करंज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट – प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घास प्रजातियाँ, खस घास बीजअगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर ।
2	स्थानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीटर
3	चौथी से पाँचवीं, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर

- मौसमी नदी के न्यूनतम् 05 मीटर तथा पेरिनियल रिवर में न्यूनतम् 10मी तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों, लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
- रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।

खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई चतावदम ठतममकपदह अवज्ञान तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान हांगा तो अनुकूल